,dy ukjh dh vkokt

vad % 27] ekg % uoEcj] o"k % 2011] fut h izlkj grq

संगठन की दो दिवसीय राज्य स्तरीय बैठक आयोजित

हर जोर जुल्म की टक्कर सें, संघर्ष हमारा नारा है ।,
हम अपना अधिकार जानते, नही किसी से भीख मांगते।।

इस प्रकार के जोश पूर्ण नारों के साथ दिनांक 27-28 जुलाई 2011 को आदर्श हितकारिणी ट्रस्ट, सेवा सदन, जयपुर में राज्य स्तरीय सदस्य बैठक की शुरूआत हुई। एकल नारी शक्ति संगठन की ओर से आयोजित इस दो दिवसीय राज्य स्तरीय सदस्य बैठक में राजस्थान के 29 जिलों के 75 संभागियों ने जोश और उत्साह के साथ भाग लिया।

राज्य स्तरीय सदस्य बैठक में सदस्यों द्वारा पिछले चार माह में किये गये कार्यो का ब्यौरा एक रिपोर्ट के माध्यम से सभी सदस्यों के सामने रखा जाता है। जिसमें इन चार माह में नये सदस्यों का संगठन से जुड़ाव, बिल्ला वितरण संख्या, ब्लॉकों में सदस्यों द्वारा किये गये कार्य का विवरण, सरकारी कार्यों में मदद व इसके अलावा सफल केस स्टड़ी के बारे में बैठक में बताया जाता है।

बैठक के प्रथम दिवस में सदस्यों की रिपोर्ट के आधार पर निकल कर आया कि चार माह में संगठन के राजस्थान में कुल 1713 नये सदस्य बने। इस प्रकार अब संगठन की कुल सदस्य संख्या राजस्थान में 36,783 हो गई है। इसके अलावा एकल महिलाओं को सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया, सामाजिक रीति रिवाज में बदलाव किये गये, ग्राम स्तर पर संगठन की बैठकें आयोजित की गई। जिसमें एकल महिलाओं के मुद्दे मजबूती से उठाये गये। बैठक में जिलेवार रिपोर्ट के समय सदस्यों ने उन विशेष केसों का प्रस्तुतीकरण किया जिसमें संगठन द्वारा महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गई थी।

साथ ही बैठक मे दिनांक 21-23 सितम्बर 2011 में आयोजित किये जाने वाले परित्यकता सदस्य सम्मेलन की आयोजना तैयार की गई। जिसमें प्रत्येक जिले से संभावित सदस्यों की संख्या, सम्मेलन के उद्‌देश्य एवं संदर्भ व्यक्तियों के बारे में निर्णय लिया गया। एकल महिलाओं के काफी मुद्‌दे हैं जिन पर एकल नारी शक्ति संगठन के साथ ही अन्य जनसंगठन व जनान्दोलन कार्य कर रहे हैं जैसे रोजी रोटी अधिकार अभियान, बी.पी.एल. एवं कम मजदूरी आदि। एकल नारी शक्ति संगठन भी इन मुद्दों के प्रति संवेदनशील है। अतः सभी सम्भागियों ने सर्वसहमति से निर्णय लिया कि हमारा उद्‌देश्य समान है अतः हमें संगठनों के साथ जुड़कर अपनी भागीदारी निभानी चाहिए।

साथ ही संगठन की मजबूती और कार्य के विस्तार को देखते हुए कमजोर ब्लॉकों को मजबूत बनाने के लिए रणनीति तय की गई। राजस्थान में खदानों में कार्य करने वाले महिला व पुरुष मजदूरों के हक, अधिकार व उनके स्वास्थ्य को लेकर सभी

- शेष पृष्ठ-2 पर...

''हम अपना अधिकार जानते, नहीं किसी से भीख मांगते'' बैठक में जोशपूर्ण नारे लगाकर वातावरण निमार्ण करती राज्य स्तरीय सदस्याऐं

जानकारियों का पिटारा है ब्लॉक कमेटी सदस्य प्रशिक्षण

संगठन की ओर से इस बार तीन स्थानों पर ब्लॉक कमेटी सदस्य प्रशिक्षण आयोजित किये गये जिनमें काफी संख्या में महिलाओं ने बड़े जोश के साथ भाग लिया। इस कम में :

प्रथम प्रशिक्षण : दिनांक - 24 से 27 अगस्त 2011 को पौरवाल धर्मशाला, गुमानपुरा, कोटा में सम्पन्न हुआ जिसमें लाड़पुरा, सांगोद, इटावा, कोटा शहर, खैराबाद, सुल्तानपुर ब्लॉकों से 96 संभागियों ने भाग लिया।

द्वितीय प्रशिक्षणः दिनांक- 14 से 17 सितम्बर 2011 को नामदेव धर्मशाला, जिला नागौर में सम्पन्न हुआ जिसमें नोखा, लुणकरणसर, पर्वतसर, ढेगाणा, जैतारण, पीसांगन ब्लॉकों से 85 संभागियों ने भाग लिया।

तृतीय प्रशिक्षणः दिनांक- 02 से 05 नवम्बर 2011 को अग्रवाल धर्मशाला, जिला झालावाड़ में सम्पन्न हुआ जिसमें खानपुर, सुनैल, बकानी, झालरा पाटन, मनोहर थाना से 97 संभागियों ने भाग लिया।

प्रशिक्षणों में संभागियों ने ''हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं'', ''हम अपना अधिकार जानते, नहीं किसी से भीख मांगते'', ''बहना चैत सके तो चैत, जमानों आयो चेतन रो'' जैसे गीत गाये व नारे लगाये। महिलाओं में आत्मविश्वास लाने और उनके मन की झिझक निकालने के लिए उनका परिचय माईक के माध्यम से करवाया गया। बहनों ने छोटे समूहों में अपनी समस्याओं पर चर्चा की। चर्चा में मुख्य समस्याएँ पेंशन समय पर नहीं मिलना, बेटे-बहू रोटी नहीं देना, गरीब होने के बावजूद भी बीपीएल सूची में नाम नहीं होना, नरेगा में काम करने के बावजूद पूरी मजदूरी नहीं मिलना, गांव में सचिव व सरपंच द्वारा समस्याऐं नहीं सुनना आदि। इन समस्याओं को क्रमबद्ध कर मुख्य समस्याओं को निकाल सूचीबद्ध किया गया। प्रशिक्षणों में अलग-अलग शिक्षाप्रद रोल प्ले व सफल केसों के

कोटा में प्रशिक्षण का दीप प्रज्जवलित कर उद्‌घाटन करते हुए श्रीमती राजकुमारी हाड़ा

माध्यम से बहनों को सीखने को मिला की हम भी संगठन के माध्यम से संघर्ष करके अपने अधिकार ले सकते हैं। संगठन की शक्ति व एकता के बारे में बहनों को संदेश देने के लिए रस्सी का उदाहरण दिया गया।

- शेष पृष्ठ-2 पर...

संगठन सदस्याओं ने मिलकर सुलझाया सास-बहू का झगड़ा

संगठन में ही शक्ति है, इस भाव के साथ जब बहनों का जुड़ाव संगठन के साथ होता है तो वे अपने अंदर एक असीम शक्ति का अहसास पाती हैं और किसी भी परेशानी से लड़ने के लिए तैयार रहती हैं। यदि हमें मंजिल पानी है तो सब को साथ मिलकर हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ना होगा। नीचे लिखी केस स्टेड़ी में इस भावना को महसूस किया जा सकता है कि संगठन में ही शक्ति है।

गांव सैलाण, पंचायत माकड़ादेव तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर की रहने वाली है हकरी बाई जो एकल नारी शक्ति संगठन की ब्लॉक कमेटी सदस्य है। हकरी बाई की बहू का नाम मीरां है। हकरी बाई के बेटे का नाम भेरू है। भेरू गाड़ी चलाता है, इसलिए वह अधिकतर घर से बाहर ही रहता है, मीरां अपनी सास हकरी बाई के साथ ठीक बर्ताव नहीं करती थी।

एक दिन मीरां ने हकरी बाई से कहा कि आपके हाथ नहीं है क्या? आज दूध क्यों नहीं निकाला? तब हकरी बाई ने कहा कि बहू, मैं घर का दूसरा काम कर रही हूँ, इतना कहते ही हकरी बाई की बहू मीरां उससे गाली-गलोच करने लगी। हकरी बाई और उसकी बहू में तू-तू, मैं-मैं इतनी बढ़ गई की बहू मीरां ने हकरी बाई पर हाथ उठा लिया और मारपीट शुरू कर दी। शोर सुन कर आस-पड़ौस से कुछ गांव वाले वहां आ गये और मीरां से कहने लगे की क्यों मारती है बुढ़िया को। इस पर मीरां ने गलत आरोप लगाते हुए कहा कि यह मुझसे गाली गलौच करती है और मेरे हाथ का बना खाना नहीं खाती। इसके कुछ समय बाद वहां संगठन सदस्या भंवरी बाई आ गई और वह समझाबुझा कर हकरी बाई को अपने घर ले आई। यहां से हकरी बाई अपने पीहर चली गई। यहां वह सवा महिने तक अपने भाई के यहां रही। दिनांक 10.10.2011 को झाड़ोल में होने वाली ब्लॉक कमेटी मीटिंग में हकरी बाई ने अपनी इस समस्या के बारे में संगठन सदस्यों को बताया। इस पर संगठन सदस्यों ने तय किया की दिनांक 12.10.2011 को हकरी बाई की बहू से मिलेंगे। फिर गांव में जाकर सदस्यों ने मीरां को समझाया लेकिन वह नहीं मानी। हकरी बाई का बेटा भी वहां नहीं मिला इसलिए सदस्यों ने तय किया की दीपावली के समय हम यहां आयेंगे। दिनांक 28.10.2011 को भेरू के आने पर सदस्य हकरी बाई व उसके भाई-भाभी को लेकर मीरां के पास पहुंचे और वहां हकरी बाई के लड़के को सारी बात बताई और समझाया कि मीरां ने इससे लड़ाई झगड़ा किया तो हम संगठन की बहने पुलिस कार्यवाही करेंगी। इस पर लड़के ने मीरां को समझाया जिससे मीरां भी राजी हो गयी और फिर सबने मिलकर मीरां और हकरी को गले मिलाया और गुड़ मंगवाकर आपस में मुंह में खिलाया। हकरी बाई ने कहा की मैं तो अपनी रोटी अलग बनाकर खाउंगी। इस पर मीरां भी मान गई। इस प्रकार एकल नारी शक्ति संगठन की बहनों ने संगठन की शक्ति से हकरी बाई की परेशानी को दूर किया गया।

पृष्ठ-1 का शेष (जानकारीयों का पिटारा है ब्लॉक कमेटी सदस्य...)

कोटा प्रशिक्षण का उद्घाटन श्रीमती राजकुमारी हाड़ा द्वारा दीप प्रज्जवलित कर किया गया। उन्होंने उद्घाटन के पश्चात् बहनों को कहा कि महिलाऐं आबादी का आधा भाग है अतः हमें अपनी ताकत को पहचानना होगा।

प्रशिक्षण में महिलाओं को विभिन्न विषयों पर जानकारियां देने व उनकी समस्याओं के समाधान हेतु संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया।

कोटा प्रशिक्षण में महिला बाल विकास विभाग से उप निदेशक डॉ. ललित दाधीच, वकील साहब गोविन्द देव नामा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रेम चन्द्र शर्मा, महिला थाना अधिकारी चन्द्रज्योति शर्मा, समाज कल्याण विभाग से श्रीमती संध्या व सविता कृष्णया, जिला प्रमुख श्री नन्दवाना, संदर्भ व्यक्ति के रूप में पधारे।

नागौर प्रशिक्षण में समाज कल्याण विभाग से नरपत बेनीवाल, नागौर पंचायत समिति पीओ संग्राम नाड़ी, नायाब तहसीलदार हेतराम विश्नोई, ब्लॉक समन्वयक रामदेव कांकडावा, वकील साहब कुन्दन सिंह प्रशिक्षण में संदर्भ व्यक्ति के रूप में पधारे जिन्होंने बहनों की जानकारी बढ़ाने व समस्याओं के समाधान हेतु संदर्भ दिया।

झालावाड़ प्रशिक्षण में समाज कल्याण विभाग से श्रीमान असलम, महिला बाल विकास विभाग से डिप्टी डायरेक्टर श्रीमान सैयद व सुपरवाईजर श्रीमती बबीता व वकील साहब श्री मनोज सदर्भ व्यक्ति के रूप में पधारे। प्रशिक्षणों में संदर्भ व्यक्तियों ने अपने-अपने विभाग से संबन्धित जानकारियों को संभागियों के सामने रखा व उनकी समस्याओं को सुनकर उन समस्याओं के समाधान भी बताये। जानकारियों में जमीन में अधिकार व इंतकाल खाता की जानकारी, महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, विकास योजनाओं की जानकारी, रोजगार गारन्टी व सूचना के अधिकार व पंचायती राज व्यवस्था व भागीदारी, महिलाओं से संबन्धित कानून की जानकारी व घरेलू हिंसा कानून, जमीन व संपत्ति में अधिकार आदि के बारे में विभिन्न जानकारियां दी गई।

प्रशिक्षण के अंत में थाना भ्रमण का कार्यक्रम रखा गया जिसमें महिला डेस्क, रिपोर्ट लिखवाना व रिपोर्ट लिखवाते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए के बारे में जानकारी मिली। कुछ महिलाओं ने बताया कि पहले हमें थाने में जाने से डर लगता था लेकिन अब वो डर निकल गया है। प्रशिक्षणों में इसके अलावा संगठन का ढांचे पर भी चर्चा की गई। इसी अवसर पर रात्रि में महिलाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत नाटक व गीत प्रस्तुत किये गये तथा मेहन्दी व बिन्दी लगाकर सामाजिक कुरितियों पर प्रहार किया गया।

झालावाड़ ब्लॉक कमेटी सदस्य प्रशिक्षण में दीप प्रज्जवलित करती हुई बुजुर्ग सदस्याऐं

नागौर प्रशिक्षण में रस्सी के माध्यम से संगठन की शक्ति का प्रदर्शन करते हुए सदस्य।

पृष्ठ-1 का शेष (संगठन की ओर से दो दिवसीय राज्य स्तरीय...)

राज्य स्तरीय कमेटी सदस्यों को जिम्मेदारी दी गई कि वो अपने-अपने क्षेत्र में खान मजदूरों की स्थिति के बारे मे पता करें और अवगत करवायें। संगठन द्वारा सरकार से अगस्त माह में की जाने वाली लॉबिग की आयोजना व बिन्दूओं पर चर्चा की गई। सभी सदस्यों से सुझाव आया कि पुरानी मांगों के साथ-साथ हमें निम्न नई मांगें जोड़नी चाहिए :-

- **बीपीएल सूची में एकल महिलाओं के नाम जोड़े जायें।**
- **विधवा व परित्यकता पैंशन बढ़ाकर 500/-से 1000/- की जावे।**
- **सभी गरीब एकल महिलाओं के बच्चों को स्नातक तक शिक्षा निःशुल्क की जावे।**
- **पालनहार योजना का लाभ परित्यकता महिला के बच्चों को भी दिया जावे।**

इसके पश्चात् बैठक का समापन गीत ''बहना चैत सके तो चैत जमानो आयो चैतन रो'' व नारों '' जब आधा भारत नारी है, तो फिर क्यों नारी बैचारी है'', '' हम सब एक है'', एकल नारी शक्ति संगठन जिन्दाबाद्, जिन्दाबाद्'' के साथ किया गया।

तीन दिवसीय जिला स्तरीय सदस्य सम्मेलन आयोजित

जिला स्तरीय सदस्य सम्मेलन में महिलाओं की विशेष समस्याओं को निकाल कर उन्हें एक साथ रख ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन व सरकार को अवगत करवाया जाता है। जिससे समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो सके।

यह सम्मेलन दिनांक 28 से 30 सितम्बर 2011 को मुरली प्लाजा, जिला भरतपुर में आयोजित किया गया। सम्मेलन में भरतपुर जिले की 230 के लगभग सदस्यों ने पूरे जोश के साथ भाग लिया। सम्मेलन का उद्घाटन यहां आई बुजुर्ग महिलाओं शांती बाई, अनार देवी व धरबी बाई द्वारा किया गया।

उद्घाटन के पश्चात् सभी सदस्यों ने एक साथ **''एकल नारी शक्ति संगठन, जिन्दाबाद् जिन्दाबाद''** के नारे लगाये तथा ब्लॉक वाईज परिचय दिया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य एकल महिलाओं की समाज व परिवार में वर्तमान स्थिति, समस्याओं के कारण, समस्याओं के संभावित समाधान, संगठन की आवश्यकता एवं महत्व, एकल नारी शक्ति संगठन का ढांचा, सदस्यता प्रक्रिया तथा सदस्यों की भूमिका, सदस्य बनने से फायदा, गाँव स्तर बैठक, बिल्ले के महत्व को जानना था। इनके अतिरिक्त एकल महिलाओं से संबंधित कानून, पुलिस विभाग संबन्धित प्रक्रिया, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सरकारी योजनाऐं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना व सूचना का अधिकार, महिला स्वास्थ्य आदि पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

सम्मेलन में महिलाओं की समस्याओं को निकलवाने के लिए छोटे समूह बनाये गये जिनमें मुख्य समस्याएं पेंशन की अनियमितता, इन्द्रा आवास की समस्या, विकलांग पेंशन, नरेगा में एकल बहनों के जॉब कार्ड अलग से नहीं होना, बेटों द्वारा भरण-पोषण नहीं करना, एकल व विधवाओं को जमीन जायदात में हिस्सा नहीं मिलना आदि निकल कर आयी।

सम्मेलन में आये संदर्भ व्यक्तियों द्वारा बहनों को विभिन्न प्रकार की जानकारियां दी गई जिसमें वकील साहब उभय दीक्षित ने महिला कानून, सम्पत्ति संबंधी अधिकार, घरेलू हिंसा एक्ट, भरण पोषण कानून के बारे में जानकारी दी। छात्रावास अधीक्षक श्री विष्णु द्वारा विधवा पेंशन व अन्य योजनाओं तथा रसद विभाग से श्री संजीव शर्मा व श्री पवन द्वारा राशन वितरण प्रणाली के बारे में बताया गया। सम्मेलन में विशेष बात यह रही कि यहां एक साथ पांच मजिस्ट्रेट पधारे जिनमें विनोद कुमार गिरी, असीमा दाधीच, विकास खण्डेलवाल, महेश पुनेठा व सुश्री प्रीति नायक थे। सभी ने बहनों का मनोबल बढ़ाया।

जिला स्तरीय सदस्य सम्मेलन में दीप प्रज्जवलित कर उद्घाटन करती हुई बुजुर्ग सदस्याऐं

सम्मेलन में संगठन कार्यकर्ता कमल पथिक द्वारा संगठन व संगठन के ढांचे, कार्यकर्ता रीना शर्मा द्वारा बीपीएल योजना व पंचायती राज, संगठन कार्यकर्ता सोना सोनी द्वारा संगठन की सफलताओं, चन्द्रकला शर्मा द्वारा कमेटी सदस्यों की भूमिका, ग्राम स्तर पर बैठकों के बारे में बताया गया। इस तीन दिवसीय सम्मेलन में नये सदस्य 124 बने तथा 132 बिल्ले बिके। सम्मेलन का समापन जोश भरे गीतों व नारों के साथ गुंजायमान किया।

ससुराल वालों से पीड़ित महिला को मिले अधिकार

रूबिना (बदला हुआ नाम) जिला कोटा की रहने वाली है। रूबिना का निकाह सन् 2011 में असीम (बदला हुआ नाम) के साथ हुआ था। निकाह के कुछ माह बाद ही ससुराल वालों ने रूबिना पर यह कहते हुए गलत आरोप लगाये कि तु तो शादी से पहले किसी गैर मर्द के साथ भाग चुकी है।

रूबिना एक गरीब परिवार से है व उसके पिता एक पैर से अपंग है। इसी मजबूरी का फायदा उठाते हुए एक दिन ससुराल वालों ने रूबिना को ससुराल से निकाल दिया और कई माह तक ससुराल वालों ने उसकी सुध नहीं ली। इस तरह 11 महीने उसने अपने पीहर में ही काट दिये। एक दिन रूबिना दिनांक 24.05.2011 को संस्थान द्वारा संचालित महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र पर अपनी मां जाईदा व पिता चांद मोहम्मद के साथ आई। वहां उसने अपने पति व ससुराल वालों के बुरे बर्ताव व लगाये गये गलत आरोपों के बारे में बताया। इस पर केन्द्र के परामर्शदाताओं ने उसके पति व ससुराल वालों को दिनांक 28.05.2011 को नोटिस भेज कर बुलवाया। यहां दोनों पक्षों के बयान सुने और समझाईश की लेकिन रूबिना का पति उसे रखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। इस प्रकार उन्हें दिनांक 30.05.2011 को फिर केन्द्र में बुलवाया। लेकिन इस दिन भी उसका पति असीम रूबिना को वापस ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ और तो और वह मेहर व इदत की राशि जो उसका अधिकार है, को भी उसे देने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस कार्य में असीम के घर वाले भी उसके साथ थे। दिनांक 03.06.2011 को आवश्यक कार्य होने के कारण संगठन से चन्द्रकला शर्मा केन्द्र पर पहुंची। उस दिन असीम व रूबिना को भी तारीख दी हुई थी। इस पर चन्द्रकला शर्मा व केन्द्र के परामर्शदाताओं द्वारा उन्हें समझाया गया।

कुछ ही देर की समझाईश से असीम व उसके परिवार वाले मान गये और शाम को ही मेहर व ईदत की राशि देने को तैयार हो गये। फिर क्या था दोनों परिवार व संगठन सदस्य मस्जिद में शहर काजी के सामने उपस्थित हुए और यहां रूबिना के पति असीम ने रूबिना को 1 लाख 786 रूपये मेहर तथा 12 हजार रूपये इदत की राशि दी।

यह मेहर व इदत की राशि रूबिना का अधिकार था, यह तो उसे मिलना ही चाहिए था। लेकिन महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र के परामर्शदाताओं और संगठन की मदद से यह कार्य संभव हो पाया। रूबिना के माता-पिता बहुत खुश थे क्यों कि वे जानते थे कि असीम मेहर व इदत की राशि बिल्कुल भी देने को तैयार नहीं था। वह तो कहता था कि चाहे मुझे जेल में डलवा दो लेकिन मैं यह राशि नहीं दूंगा। चूंकी यह केन्द्र और संगठन की मदद से संभव हुआ इसलिए वे कार्यकर्ताओं व परामर्शदाताओं को बार-बार धन्यवाद दे रहे थे।

कार्यकारिणी प्रशिक्षण से सदस्यों में हुआ जोश का संचार

संगठन व संस्थान की कार्यकारिणी तथा नेतृत्वकर्ताओं में जोश का संचार करने तथा वे नई ऊर्जा व सोच के साथ कार्य करें इसके लिए इस बार कार्यकारिणी प्रशिक्षण दिनांक 28 से 29 अगस्त 2011 को आस्था प्रशिक्षण केन्द्र, बैदला, उदयपुर में आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण की शुरूआत जोश भरे गीत और नारों से की गई व इसके पश्चात् प्रशिक्षण में आये सभी संभागियों का परिचय लिया गया।

कार्यकारिणी प्रशिक्षण में सदस्यों द्वारा संगठन व संस्थान के संबन्ध व उद्देश्यों को समझना, कार्यकारिणी सदस्यों की भूमिका व जिम्मेदारी को जानना, संगठन में मजबूती लाने के लिए सदस्यों में नये जोश का संचार करना, बैठक प्रभावी तरीके से करना सीखना, लॉबिंग प्रेस कान्फ्रेन्स आयोजित करने का तरीका सीखना, प्रभावी लेखन कार्य सीखना, ज्ञापन, प्रस्ताव व बजट बनाना सीखना, दानदाता संस्थाओं के साथ बातचीत का तरीका सीखना मुख्य उद्देश्य थे। इसके अलावा संगठन के माईल स्टोन्स पर चर्चा करने व आगे की रणनीति बनाने को लेकर यह प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण में छोटे-छोटे समूह बनाकर उनमें उक्त उद्देश्यों के बारे में चर्चा की गई। प्रशिक्षण में रोल प्ले किया गया जिससे सदस्यों ने प्रभावी लॉबिंग करने के तरीके के बारे में सीखा।

राष्ट्रीय एकल नारी अधिकार मंच की द्वितीय आम सभा बैठक

राष्ट्रीय एकल नारी अधिकार मंच की द्वितीय आम सभा बैठक दिनांक 11-12 अक्टूबर 2011 को आई.एस.आई, नई दिल्ली में आयोजित की गयी, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार और झारखण्ड़ राज्य से सहयोगी समूह के सदस्य, आम सभा सदस्य, राष्ट्रीय कमेटी सदस्यों ने भाग लिया। मणीपुर तथा भारतीय मुस्लिम महिला आन्दोलन से जुड़े प्रतिनिधियों ने भी राष्ट्रीय मंच की जानकारी लेने तथा अपने क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति बताने हेतु भाग लिया। मंच के सदस्यों का होंसला बढ़ाने के लिये सामाजिक विकास कार्यो से जुड़े सुश्री बेलिण्डा बैनेट व श्री कुमार जैकब उद्घाटन सत्र में आये। मंच द्वारा देश के 6 राज्यों-बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, महाराष्ट्र एवं राजस्थान में एकल महिला संगठनों द्वारा एकल महिलाओं की स्थिति पर किये गये शोध पर प्रकाशित पुस्तिका *'आर वी फॉरगोटन'* का विमोचन किया गया। सचिवालय सदस्य ने शोध के मुख्य निष्कर्ष पर प्रस्तुतिकरण दिया।

सुश्री बेलिन्डा बैनेट ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि 'अभी तक हम एकल महिलाओं के संगठन से अप्रत्यक्ष रुप से जुड़े थे आज पहली बार आप सभी के बीच में आकर तथा आपकी बातों को सुन कर अच्छा लग रहा है। भारत में एकल महिलाओं का जो आन्दोलन उभर रहा है वह सरकारी तन्त्र से सवाल करता आया है पर मौजुदा हालात में निजी क्षेत्र के बढ़ते प्रभाव के कारण उससे भी संवाद कायम करना होगा। उन्होंने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप सभी अच्छे प्रयास कर रहे हैं तथा आशा है कि आप अपने प्रयास में सफल होंगे।

श्री कुमार जैकब ने आमसभा को शोध पुस्तिका *'आर वी फॉरगोटन'* के विमोचन पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि बहुत सी संस्थाएं अध्ययन करती है किन्तु अध्ययन पर सुझाव केवल खानापूर्ति के लिये बना दिये जाते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आपके शोध में जो भी सुझाव दिये गये हैं ये बहुत वास्तविक है। इसी अवसर पर महाराष्ट्र की बहनों ने महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा पर एक लघु नाटिका प्रस्तुत की। बैठक के दौरान एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया जिसमें मंच के सदस्यों ने राष्ट्रीय मंच से जुड़े अनुभव, उपलब्धियां तथा दृष्टिकोण की जानकारी दी। सभी पत्रकारों ने शोध पुस्तिका व मंच के कार्य की सराहना की। कुछ समाचार पत्रों हिन्दुस्तान, द हिन्दु एवं द ट्रिब्यून आदि में मंच से सम्बन्धित लेख तथा सदस्यों की केस स्टडी भी प्रकाशित की गयी है। बैठक में प्रत्येक राज्य के एकल नारी संगठनों ने अपने-अपने कार्य, रणनीति, कार्यक्षेत्र, राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्थिति, बी.पी.एल सर्वे की स्थिति, सरकारी सुविधाओं जैसे राशन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के बजाये सरकार द्वारा कैश/पैसे दिये जाने के विषय में संगठन की सोच के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रीय मंच में अब तक **82886** एकल महिला सदस्य जुड़ चुकी है। सभी राज्यों ने 2011 में सामाजिक आर्थिक व जातिगत जनगणना के नाम से हो रहे बी.पी.एल. सर्वे के मापदण्डों पर असहमति जताई। सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ज़रिये अनाज के बजाय परिवारों को निर्धारित राशि मिलने पर भी सभी सदस्यों ने असंतोष व्यक्त किया। उनके अनुसार ऐसी व्यवस्था से महिलाओं की स्थिति और बिगड़ जायेगी। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन से जुड़ी जुलेखा ने बताया कि एकल महिलाओं के साथ-साथ मुस्लिम महिलाओं की स्थिति सोचनीय है। सरकार भी 6 साल से कम बच्चें अथवा 60 साल के बाद की महिलाओं को योजनाओं में शामिल करती है। महिलाओं के लिये कोई विशेष प्रयास नही किये जा रहे हैं। महिला हिंसा से सुरक्षा नियम होने के बावजूद महिलाओं पर हिंसा निरन्तर बढ़ रही है। मुस्लिम महिला के मुद्दे भी महिलाओं से जुड़े मुद्दे है, इसके लिये हमें मिलकर आवाज उठानी होगी। सभी राज्य सदस्यों ने महिलाओं से सम्बन्धीत ज्वलन्त मुद्दों जैसे झारखण्ड ने डायन डाकन पर, बिहार द्वारा अंधविश्वास पर, गुजरात द्वारा एकल महिलाओं पर थोपे जाने वाले सामाजिक रिवाज़ों पर एवं राजस्थान द्वारा नाता प्रथा समस्या पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी।

सर्वोच्च न्यायालय से महिला वकील सुश्री कीर्ति सिंह ने महिलाओं से सम्बन्धित कानून पर जानकारी देते हुए कहा कि महिलाओं से सम्बन्धित लगभग 150 कानून बने हैं। उसके बावजूद महिलाओं पर की जाने वाली हिंसा में कोई कमी नहीं आयी है। तलाकशुदा महिलाओं को विशेष रुप से भरण पोषण

बैठक में नारे लगाते हुए राष्ट्रीय एकल नारी अधिकार मंच के सदस्य

की राशि वसूल करने में दिक्कत आती है जिसकी मुख्य समस्या कोर्ट की प्रक्रिया का धीमा होना है। एकल महिलाओं की गम्भीर स्थिति को सुधारने के लिये सरकार को ठोस आकडें देकर लॉबिंग करनी होगी। वकील साहिबा ने मंच के सदस्यों को कानून संबन्धी तथा व्यक्तिगत समस्या समाधान के लिये सलाह दी। सभी राज्य सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र में विशेष वर्ग के एकल महिलाओं से सम्बन्धित मुद्दों व समस्याओं जिनमें गुजरात ने मुस्लिम एकल महिलाओं पर, महाराष्ट्र ने विकलांग एकल महिलाओं पर, झारखण्ड व हिमाचल प्रदेश ने अविवाहित एकल महिलाओं पर, पंजाब व राजस्थान ने कम उम्र की एकल महिलाओं से सम्बन्धित मुद्दे पर विस्तृत जानकारियां दी। सभी सहभागियों ने आगामी साल में मंच द्वारा किये जाने वाले कार्य की योजना बनाई। बैठक का आयोजन तथा समापन जोश से भरे गीत व नारे के उल्लासपूर्ण वातावरण में किया गया।

वालकी बाई को मिला जमीन पर अधिकार

हम अपनी परेशानी के बारे में किसी को नहीं बताते क्यों कि हम यह सोचते हैं कि अपनी परेशानी दूसरों को बताऐंगे तो क्या होगा, वह मेरा मजाक बनायेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें सब को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए, संगठन की शक्ति को पहचानना चाहिए। इसलिए संगठन का निर्माण किया गया है कि कोई भी महिला अपने आप को कमजोर न समझे।

वालकी बाई गांव-बच्छार पंचायत बच्छार, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर की रहने वाली एकल महिला है। यह एकल नारी शक्ति संगठन की सदस्य है। वालकी बाई गरीब है, जो थोड़ी बहुत जमीन उसके पास थी उस पर पर खेती कर अपना जीवन गुजर बसर करती है।

लेकिन एक दिन वालकी बाई की जमीन को गांव का ही एक व्यक्ति लुम्बाराम अपनी जमीन बताने लगा। एक बार जैसे-तैसे वह अपने खेत पर बीज बोने आई तो लुम्बाराम ने मार-पीट कर भगा दिया। यह बात वालकी बाई ने अपने परिवार वालों को बताई। इस पर परिवार वाले लुम्बाराम के पास गये वहां आपस में बातचीत करते-करते झगड़ा बड़ गया और मारपीट हो गई। इस पर लुम्बाराम ने थाने में केस कर दिया। वहां बताया की जमीन मेरी है, और वालकी व उसके परिवार वाले मुझसे मेरी जमीन छीन रहे हैं। वालकी बाई ने ब्लॉक बैठक में अपनी समस्या बताई।

इस पर कमेटी सदस्यों ने निर्णय लिया कि वे मौके पर जाकर पटवारी से जमीन का रिकार्ड निकलवायेंगे। जब पटवारी के पास ब्लॉक कमेटी सदस्य पहुंची तो पटवारी रिकार्ड निकाल कर नहीं दे रहा था। काफी प्रयास के बाद पटवारी ने जमीन के खाते की नकल निकाल कर दी। जब उसके खेत पर मौका देखने पुलिस आयी तो वे कागज वालकी बाई ने उन्हें दिखाये। पुलिस ने लुम्बाराम को काफी डांटा कि यह जमीन तो इसकी है। तुमने गलत रिपोर्ट दी। अब से वालकी बाई ही इस जमीन पर खेती करेगी। जब से वालकी बाई जमीन पर फसल उगाकर अपना पेट भर रही है। इस प्रकार वालकी बाई को संगठन के माध्यम से अपनी स्वयं की जमीन वापस प्राप्त हुई।

औरत सब कुछ कर सकती है, अगर साहस रखे तो – धनकुंवर

मैं धनकुंवर एकल नारी शक्ति संगठन की कार्यकर्ता हूँ। मेरा विवाह 05 मई, 1993 में मध्यप्रदेश के सागर जिले में हुई थी। एक राजपूत जाति से होने के कारण घूंघट रखना व बाहर निकलना मना था।

ऐसी बंदिशों के कारण मुझे कई परेशानियों का सामना करना पढ़ा। मेरे पति के किसी ओर लड़की के साथ संबन्ध थे। वे मुझे बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं रहने देते थे। कहते थे कि हमेशा परदा कर के रहा करो, वहां मत बैठा करो, उससे बात मत किया करो, वहां मत जाया करो। मैं केवल घर में बंद होकर रह गई थी। मैं अकेली ही सभी समस्याओं का सामना करती रही। शादी के सात साल बाद मैंने एक लड़की को जन्म दिया। लड़की के जन्म के बाद मैंने सोचा की अब हालात सुधर जायेंगे। लेकिन हालात सुधरने की बजाए और बिगड़ते चले गये। मेरे पति का व्यवहार बिल्कुल भी नहीं सुधरा था। एक दिन मुझे पता चला की मेरे पति ने एक औरत की नौकरी सागर जिले में किसी स्कूल में लगवा दी और वो भी वहीं पर रहने लग गये। जब मुझे इस बात का पता चला तो सास-ससुर को बताया। उन्होंने आश्वासन दिया की सब ठीक हो जायेगा, हम कुछ करेंगे। एक दिन मैंने अपने पति को वहां जाने से रोका तो उन्होंने मुझसे काफी गाली गलौच की।

इसके बाद मुझे पता चला की मेरे ससुर उस औरत को घर से स्कूल में छोड़ने जाते हैं तो मुझे बहुत धक्का लगा। ये सब मिलकर मुझे धौका दे रहे हैं। तब मैंने एक बार फिर मेरे पति से बात छेड़ी तो काफी झगड़ा हुआ और उन्होंने मुझे मारा-पीटा। इस पर मैने कोटा में अपनी सहेली को फोन किया जो कि हमारे पड़ोस में ही रहती है, उसने मेरे भाई को सारी बात बताई।

इसके बाद मेरा भाई मुझे कोटा ले आया। यहां रहते हुए मुझे डेढ़ वर्ष हो गया था। इसी बीच मेरी मां का देहान्त हो गया। यहां मेरी बड़े भाई और भाभी से नहीं बनती थी। वे मुझे यहां से निकालना चाहते थे। इसलिए वे मुझे आए दिन परेशान करते थे। इस समय मेरी मुलाकात प्रतिमा जी से हुई जो एकल नारी शक्ति संगठन की सदस्य हैं, उन्होंने मुझे एकल नारी शक्ति संगठन की संगठन कार्यकर्ता सोना जी से मिलवाया। इनसे मिलने के बाद मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया था। इनसे जानकारी लेकर मेने पारिवारिक न्यायालय में धारा 125 की कार्यवाही की तो मुझे कुछ महिनों में न्याय मिल गया। इसके बाद मेने मेरे भाई और भाभी पर महिला उत्पीड़न का केस किया जिसके बाद वे मुझे परेशान नहीं करते।

मैंने कई महिलाओं का ठीक वेसे ही हौंसला बढाया जैसा कभी संगठन सदस्याओं ने मेरा हौंसला बढ़ाया था। अभी मैं एकल नारी शक्ति संगठन की संगठन कार्यकर्ता हूँ। एकल नारी शक्ति संगठन से मैंने यह पाया की औरत महान है, उसमें अनेक शक्तियां भरी हुई है, केवल उसे जगाने की जरूरत है, औरत सब कुछ कर सकती है, बस साहस उसके पास होना चाहिए वो दुनिया से लड़ सकती है। सच्चाई ही औरत का धर्म है।

''एकल नारी शक्ति संगठन जिन्दाबाद, जिन्दाबाद!''

- धनकंवर, संगठन कार्यकर्ता, कोटा (राज.)

संगठन का संदेश अपनी बहनों तक पहुंचाने के लिए चित्रों के माध्यम से एकल महिलाओं द्वारा उकेरी गई भावनाएं

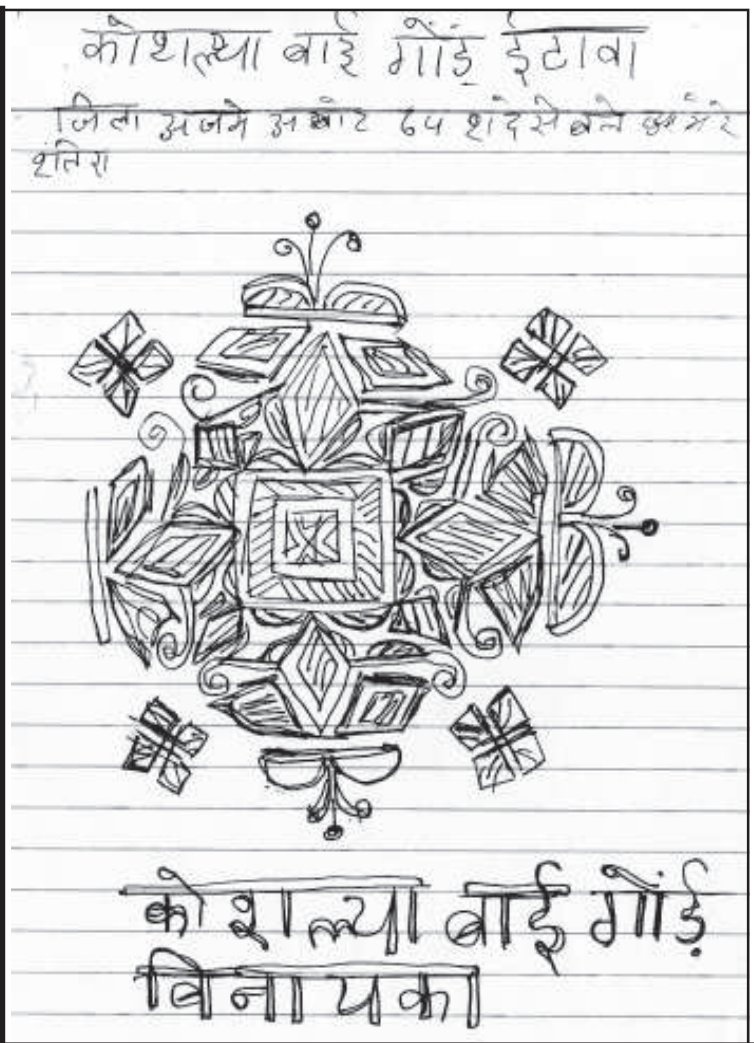

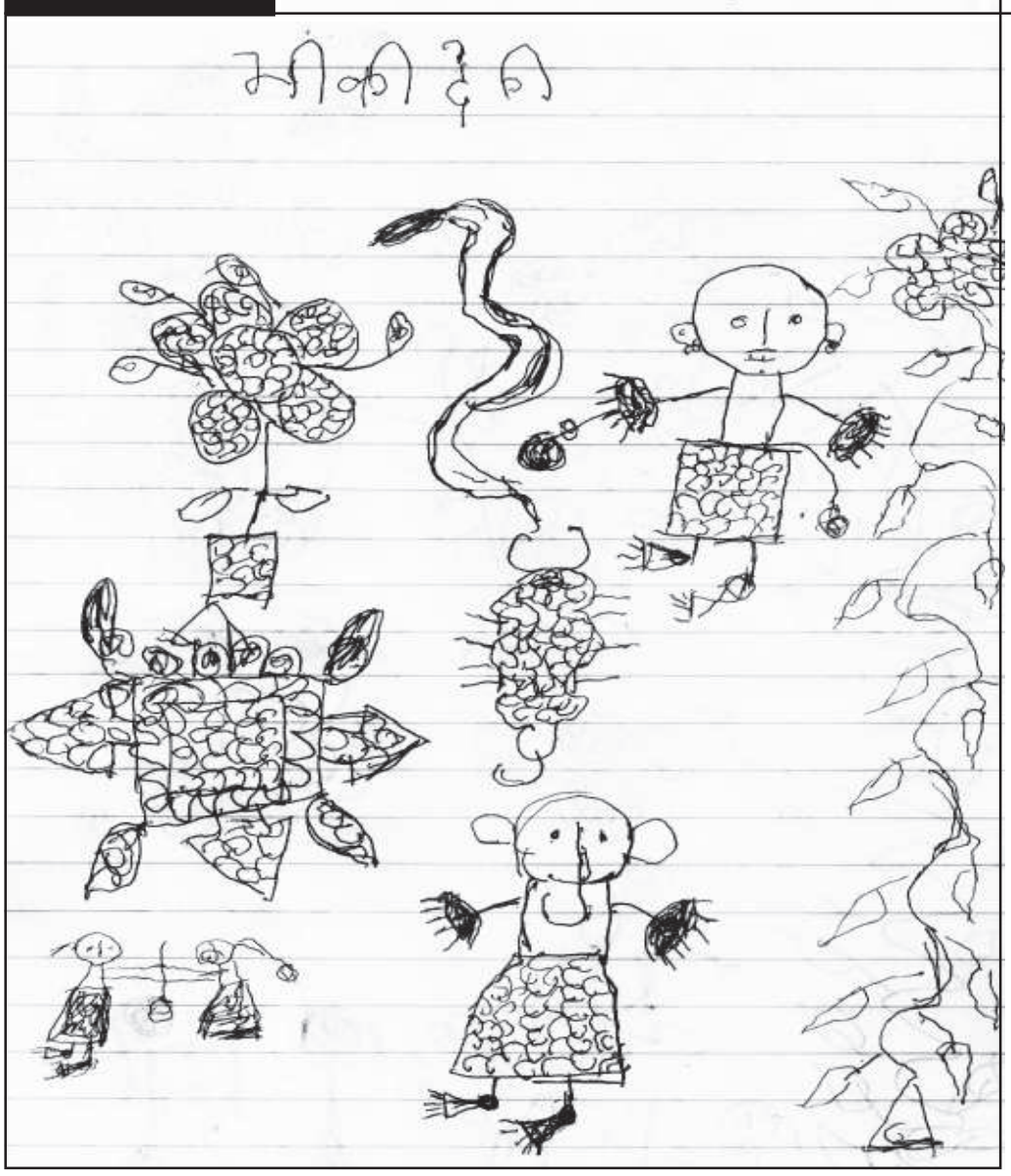

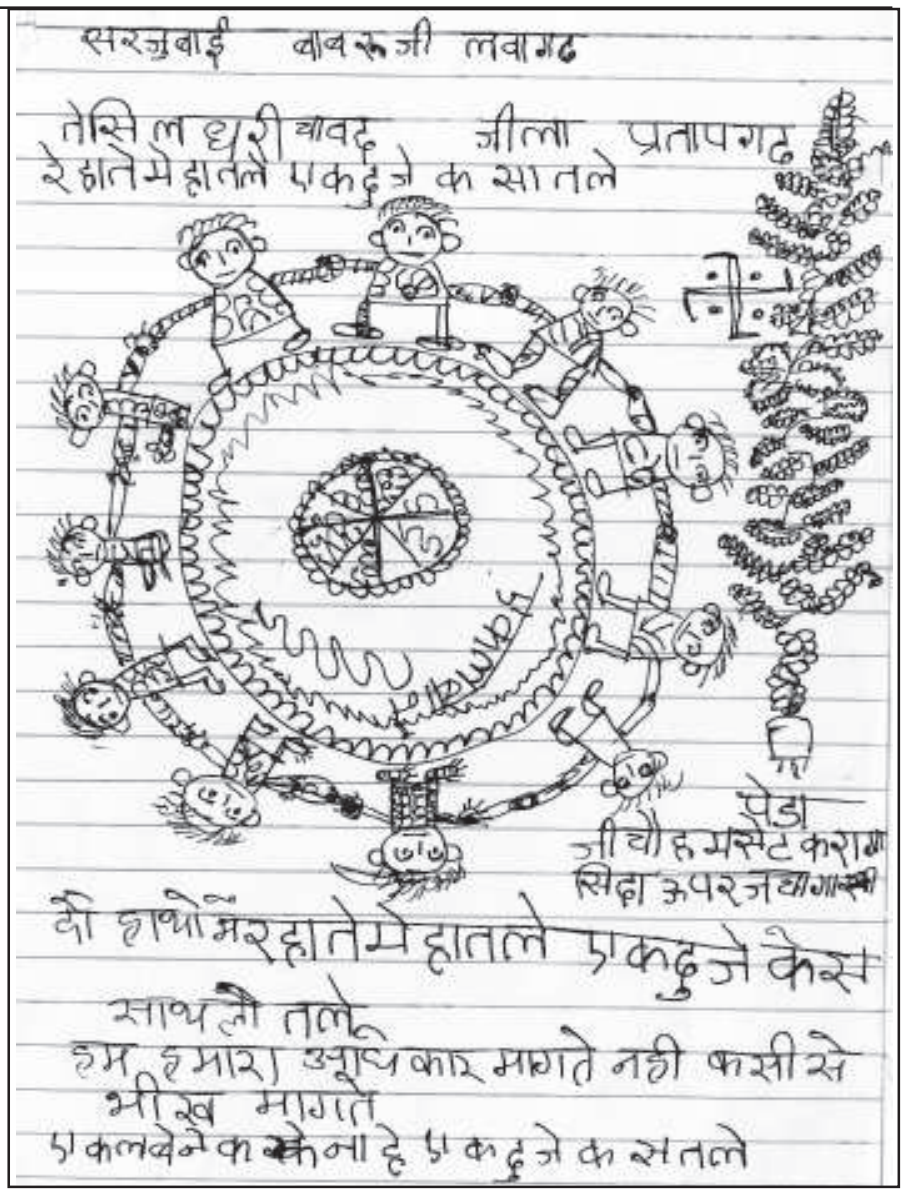

परित्यकता बहनों के विकास की नींव है परित्यकता सम्मेलन

''विकलांग को तो बैसाखी का सहारा है, पर परित्यकता महिला का कोई सहारा नही और कोई मदद के लिए आता है तो अपने स्वार्थ के लिए'' यह शब्द दिनांक 21-23 सितम्बर 2011 को आस्था प्रशिक्षण केन्द्र, उदयपुर में आयोजित एकल नारी शक्ति संगठन के तीन दिवसीय राज्य स्तरीय परित्यकता सदस्य सदस्य सम्मेलन में अपनी समस्या सुनाते हुए परवीन बानो, जिला कोटा की सदस्य ने कहे। सम्मेलन मे राजस्थान के 29 जिलों की 120 सदस्यों ने भाग लिया।

परित्यकता सम्मेलन में अपनी समस्याओं को कुछ इस तरह से बताया संभागियों ने

परित्यकता सदस्य सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य परित्यकता महिलाओं की समस्याओं की पहचान व कारण जानना, परित्यकता महिलाओं से सम्बन्धित योजना की जानकारी देना, महिला कानून व सम्पत्ति सम्बन्धी कानूनी अधिकारों की जानकारी व मुस्लिम पर्सनल लॉ समझना, संगठन परित्यकता महिलाओं के लिए क्या कर सकता है? जानना व लॉबिग के बिन्दू तय करना, साथ ही परित्यकता महिलाओं को परिभाषित करना व आगे की रणनीति तय करना था।

तीन दिवसीय सदस्य सम्मेलन में परित्यकता महिलाओं के अलग-अलग समूह बनाकर समस्या की पहचान की गई। जिसमें मुख्य रुप से परित्यकता महिलाओं को समाज के लोगों द्वारा हीन भावना व गलत नजर से देखना, रोजगार, आवास, बच्चों के पालन पोषण की समस्या, ससुराल पीहर में हक नही मिलना, कोर्ट प्रक्रिया का लम्बा होना, आर्थिक स्थिति कमजोर होना, परित्यकता के लिए सरकारी योजनाएं न होना, नाता प्रथा आदि समस्याएं आदि निकलकर आयी। एडवोकेट श्रीमती वन्दना द्वारा महिला कानून भरण-पोषण, सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार, घरेलू हिंसा कानून तथा शहर क़ाजी द्वारा मुस्लिम पर्सनल लॉ जिसमें तलाक, इद्दत व मेहर के बारे मे जानकारी दी गई। चर्चा के दौरान सम्मेलन मे आयी मुस्लिम महिलाओं ने शहर काज़ी के सामने अपनी समस्याएं रखते हुए कहा कि अब इन कानूनों मे बदलाव होना चाहिए। शहर काज़ी ने आश्वासन देते हुए कहा कि वे मुस्लिम महिलाओं की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले सेमीनार में रखेंगे।

आस्था संस्थान, पंच सरपंच संगठन से श्री अश्वनी पालीवाल द्वारा सम्मेलन मे संभागी सदस्यों को राजनैतिक व प्रशासनिक ढ़ाँचे के बारें मे समझाया गया। महिला अधिकार एवं सन्दर्भ ईकाई से सुश्री वर्षा झंवर व संगठन से चन्द्रकला शर्मा द्वारा परित्यकता महिलाओं से सम्बन्धित सरकारी योजनाओं जिसमें परित्यकता पेंशन नियम व प्रकिया, सरकारी नौकरी में आरक्षण, महिला सुरक्षा सलाह केन्द्र, खुला विश्वविद्यालय द्वारा स्वंय का शैक्षणिक विकास, आजिविका मिशन के माध्यम से रोजगार प्रशिक्षण के बारे मे जानकारी दी गई।

सभी संभागियो ने चर्चा करके सर्वसहमति से परित्यकता महिलाओं की परिभाषा तय की। जिसमें ''ऐसी महिला जो तीन वर्ष से अपने पति से अलग रह रही है या कोई शारीरिक एवं सामाजिक सम्बन्धों में नहीं है'' वह परित्यकता महिला की श्रेणी में आएगी। सम्मेलन में परित्यकता महिलाओं से सम्बन्धित लोबिंग के लिए मांगे भी तय की गयी। इसके पश्चात जोरदार गीत व नारों के साथ सम्मेलन का समापन किया गया।

,dy ukjh 'kfDr lxBu d InL;k dh l[;k

क्र.सं.	जिला	ब्लॉक	सदस्य
1.	अजमेर	9	3927
2.	राजसमंद	5	1852
3.	सिरोही	3	830
4.	डूंगरपुर	5	952
5.	बांसवाड़ा	6	601
6.	उदयपुर	9	2838
7.	भीलवाड़ा	6	1875
8.	जोधपुर	5	930
9.	नागौर	3	1667
10.	जालोर	2	892
11.	पाली	4	1306
12.	चित्तौड़गढ़	4	760
13.	टोंक	4	755
14.	बारां	6	2122
15.	बूंदी	4	1287
16.	अलवर	3	897
17.	सवाईमाधोपुर	5	931
18.	जयपुर	4	1134
19.	कोटा	6	1763
20.	दौसा	4	1067
21.	बाड़मेर	4	688
22.	सीकर	3	535
23.	चुरू	3	1917
24.	झालावाड़	5	2383
25.	जैसलमेर	3	1054
26.	करौली	3	671
27.	प्रतापगढ़	4	608
28.	भरतपुर	3	366
29.	बीकानेर	2	114
30	हनुमानगढ़	1	61
		127	36,783

यदि कोई एकल महिला, एकल नारी शक्ति संगठन के बारे में कोई जानकारी चाहती है या सदस्य बनना चाहती है, अथवा अपने क्षेत्र को संगठन से जोड़ना चाहती है तो वह निम्न पते पर सम्पर्क करें -

,dy ukjh 'kfDr lxBu

irk %&

39, खारोल कोलोनी, उदयपुर-313004 (राज.)

फोन :0294-2451348 फैक्स :0294-2451391

3-पीपल्दा हाऊस, सिविल लाईन, कोटा -324008

फोन : 0744-2450726 फैक्स : 0744-2329536

bZesy : astha39@gmail.in

bZesy : enss_kota@yahoo.co.in

bZesy : ensskota@gmail.com.in

Website: www.strongwomenalone.org

lok eas] cqd iksLV

Jheku@Jherh --

irk --

-- fiu dksM ------------